

कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
--: जिला-बालोद::--छत्तीसगढ़

Phone No&Fax No. 07749-223915 , Email- actwd.balod@gmail.com

क्रमांक/EMRS/1067 /2023-24/

बालोद,दिनांक 07/12/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों (Guest Teacher) की व्यवस्था हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन सूचना का प्रारूप

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छ.ग. राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ.ग. के अंतर्गत जिला बालोद में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ्रेश अभ्यर्थी/सेवा निवृत्त शिक्षकों) की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थी से दिनांक 20.12.2023 को Walk-in-Interview हेतु आफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है।


विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट <https://eklavya.cg.nic.in/> या जिले के वेबसाईट <https://balod.gov.in/> पर अवलोकन किया जा सकता है :-


07/12/2023

सहायक आयुक्त/पदेन सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बालोद छत्तीसगढ़
बालोद,दिनांक 07/12/2023

पृ.क्रमांक/EMRS/1067 /2023-24/
प्रतिलिपि :-

सहायक संचालक जनसंपर्क कार्यालय बालोद जिला बालोद को अतिथि शिक्षक हेतु विज्ञापन सूचना का प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।


07/12/2023

सहायक आयुक्त/पदेन सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बालोद छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला स्तरीय समिति
आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
--: जिला-बालोद:--छत्तीसगढ़

Phone No&Fax No. 07749-223915 , Email- actwd.balod@gmail.com

कमांक/EMRS/ 1068/2023-24/

बालोद,दिनांक 07/12/2023

जिला स्तरीय समिति बालोद के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक

सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु

—:विज्ञापन मार्गदर्शी सूचना प्रारूप:—

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला बालोद में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यर्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से "प्रतिकालखंड" आधार पर 'अतिथि शिक्षक' (Guest Teacher) को निश्चित मानदेय पर लिया जाना है।

1. रिक्तियों की संख्या – कुल विषयवार शिक्षकों की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है, जो परिवर्तनीय है :-

क्र	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	पी.जी.टी.							टी.जी.टी.					योग	
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	मौक्तिक	रसायन	जीवविज्ञान	कम्प्यू साइंस	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान		सा.विज्ञान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	बालोद	डौण्डी	एकलव्य आदर्शआवासीय विद्यालय डौण्डी	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	03

2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

1) TGT:-

- i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री।
 - TGT (अंग्रेजी) –स्नातक तथा उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त किया होना चाहिए।
 - TGT (विज्ञान) –बॉटनी, जियोलॉजी और केमेस्ट्री में से किन्हीं दो विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त किया होना चाहिए।
- ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।
- iii. राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET Paper-II)या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Paper-II) में पात्रता।

2) PGT:-

- I. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 02साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।
 - PGT (भौतिकी) –भौतिकी/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी भौतिकी विषय होना चाहिये।
- II. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री।

वांछनीय योग्यता :-

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।
- शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

3. आयु की गणना :-

फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक

(अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए-01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।

सेवानिवृत्त शिक्षक

(अ) सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए – अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023 की स्थिति में) होगी। किन्तु वह आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से पूर्ण स्वस्थ एवं सक्षम हो। चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

4. चयन प्रक्रिया :-

सभी अतिथि शिक्षकों का चयन दिनांक 20.12.2023 को Walk-in-Interview के माध्यम से किया जावेगा। उक्त दिनांक को सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदक विज्ञापन में दर्शित वांछित योग्यता संबंधी सभी दस्तावेज की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग जिला बालोद के कक्ष क्र. 61 में उपस्थित होंगे। तत्पश्चात् जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाकर मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जावेगा।

5. चयन समिति :-

जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के जाँच/परीक्षण/मेरिट सूची आदि तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति होगी :-

1. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित 01 प्रतिनिधि –अध्यक्ष
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास –सदस्य सचिव
3. जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य
4. जिला स्तरीय समिति से एक शिक्षाविद् (कलेक्टर द्वारा नामांकित) – सदस्य
5. विद्यालय/महाविद्यालय से एक विषय विशेषज्ञ –सदस्य
6. प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (01 प्राचार्य) – सदस्य

उपरोक्त समिति योग्यता, मापदण्ड, शिक्षण, अनुभव और आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों का चयन सूची बनाई जायेगी तथा चयन सूची को जिला स्तरीय एवं विद्यालय की वेब साईट पर अपलोड किया जायेगा।

6. योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :-

अ. पी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2	स्नातक के अंको का	30%
3	स्नातकोत्तर के अंको का	50%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु-03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)	03 वर्ष-03 अंक 04 वर्ष-04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष-05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो (पी.जी.टी.)	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो (पी.जी.टी.)	04 अंक
7	हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो (पी.जी.टी.)	02 अंक

ब. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातक है के लिए

क्र.	योग्यता	अंकभार
1	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2	स्नातक के अंको का	50%
3	स्नातकोत्तर के अंको का	30%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु-03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)	03 वर्ष-03 अंक 04 वर्ष-04 अंक 05 वर्ष या उसे अधिक वर्ष-05 अंक

नोट :- अभ्यर्थी केवल अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त किये होने चाहिये।

7. अनुभव :- अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।(परिशिष्ट-छः)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

8. नियुक्ति के संबंध में :-

1. चयनित सूची अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/ छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथि शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के मामले में शामिल होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पद स्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।
5. अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमित शिक्षकों के पद ग्रहण करने तक या बिन्दु क्र. 8 (3) के शर्तों के अधीन तक रहेगी।

9. मानदेय :-

- फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षक - पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यर्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।

- पारिश्रमिक:-

(अ) पी.जी.टी एवं टी.जी.टी. हेतु -

पीजीटी-Rs.320/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु. 45000/-प्रतिमाह के मान से एवं टीजीटी-Rs.300/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रु.42000/- के मान से।

अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आबंटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है।

- सेवानिवृत्त शिक्षक - पारिश्रमिक का भुगतान:-सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विकल्प का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नवोदय विद्यालय (एनवीएस)/केन्द्रीय विद्यालय (केवीएस) और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन का प्रावधान लागू है। निजी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पेंशन लागू नहीं है, के लिए अधिकतम पीजीटी हेतु Rs. 45000/- एवं टीजीटी हेतु Rs.42000/- का पालन किया जाना है।

10. सामान्य निर्देश :-

(अ) अतिथि शिक्षकों हेतु:-

- i. अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना दे कर समाप्त की जा सकती हैं।
- ii. अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।

अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, छात्रों को विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

- iii. अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) निः शुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- iv. अतिथि शिक्षक का नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोष जनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति की वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालयों में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।
- v. राज्य स्तरीय समितियां शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

(ब) सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु:-


- I. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथिशिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति / छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।
- II. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।
- III. सेवानिवृत्त शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- IV. एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
- V. सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधियों, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तैयार करना।
- VI. सेवानिवृत्त शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- VII. सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- VIII. एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आने वाले वर्षों के सेवानिवृत्त शिक्षक के पैनल के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्रदर्शन संतोष जनक हो। तथापि, यदि अन्यथा पात्र हों तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

11. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भर्ती कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखों में त्रुटिपाये जाने पर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
3. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति <http://www.eklavya.cg.nic.in/> एवं संबंधित जिले के वेबसाईट <https://balod.gov.in/> पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
4. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
5. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

12.अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन के माध्यम से साक्षात्कार स्थल पर स्वीकार किया जाएगा। जिसकी जाँच साक्षात्कार के पूर्व ही की जावेगी।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर बालोद जिले के जिला स्तरीय समिति को स्वयं जमा करें। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24, विषय एवं पद का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा।


07/12/2023

सहायक आयुक्त/पदेन सचिव
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला-बालोद छत्तीसगढ़

// फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी.एड. उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/TET उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छ: के अनुसार)

// सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची //

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
5. बी.एड. उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
6. CTET/STET उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण-पत्र
8. कार्यअनुभव का प्रमाण-पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छ: के अनुसार)
9. सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु -उसके सेवानिवृत्ति के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवानिवृत्ति की तिथि तथा उसके कार्य व्यवहार के संबंध में प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट -पाँच)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के
फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र-वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :
2. संवर्गका नाम शैक्षणिक संवर्ग: []
3. आवेदितपदनाम :
4. नाम :
5. लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर):
6. पिता/पति का नाम :
7. जाति/वर्ग :
- (अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./निशक्त/आर्थिक पिछड़ा/सामान्य)
8. जन्मतिथि :
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) :
10. पत्राचार का पूर्ण पता :
11. मोबाईल नं. :
12. ई-मेल आईडी :
13. आधार नंबर है:-

14. शैक्षणिक योग्यता

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में/ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondary School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/STET							
7.	other							

15. अनुभव :

(अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव है हां/नहीं

क्र०	संस्था का नाम	पदनाम	अविधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

// घोषणा-पत्र //

मैं..... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु
आवेदन पत्र-वर्ष 2023-24

1. आवेदित जिले का नाम :
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग
3. आवेदित पदनाम :
4. नाम :
5. लिंग (महिला/पुरुष/ट्रांसजेंडर)
6. पिता/पति का नाम :
7. जाति/वर्ग :
- (अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./निशक्त/आर्थिक पिछड़ा/सामान्य)
8. जन्मतिथि :
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) :
10. पत्राचार का पूर्ण पता :
11. मोबाईल नं. :
12. ई-मेल आईडी :
13. वर्तमान में किस शाला/संस्था में पदस्थ है:-
14. मूल विभाग का नाम :-

15. शैक्षणिक योग्यता

क्र०	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में/ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secndry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/STET							
7.	other							

16. नियमित पद पर (परीवीक्षा अवधि को छोड़कर) शासकीय सेवा की जानकारी :

क्र०	पदनाम	नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक	कब से कब तक	अब तक कुल सेवा अवधि	वेतनमान

17. सेवा अवधि में दण्ड/विभागीय जांच आदि की जानकारी :-

क्र०	विभागीय जांच संस्थापित होने का दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	शास्ति अधिरोपित का दिनांक

18. गोपनीय चरित्रावली का विवरण :-.....
(पिछले 05 वर्ष का, वर्ष 2017से 2021तक)

वर्ष 2022.....2021..... 2020.....2019.....2018.....

घोषणा पत्र

मैं..... घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.
पद संस्था का नाम विभाग
..... सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रु.....से
सेवानिवृत्त हुआ/हुई है। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक,
न्यायालयीन प्रकरण, दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

वर्ष 2022 [.....] 2021 [.....] 2020 [.....] 2019 [.....] 2018 [.....]

दिनांक

स्थान

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

परिशिष्ट-“छः”

कार्यालय का नाम
फोन/फैक्स नंबर

क्र.....

दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु.

आत्मज श्री जिला राज्य

..... ने..... विद्यालय में पद पर

..... विषय का दिनांक से कुल वर्ष

...माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

नाम

पद

सील